राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 7 (197) परि / नियम / मु. / 98 / 15595 जयपुर, दिनांक : 26/12/2012

कार्यालय आदेश संख्या 25 / 2012

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह विहित किया गया है कि राजकीय वाहनों के अलावा सभी प्रकार के वाहनों के लिए अन्य पक्ष बीमा (Third Party Insurance) अनिवार्य है। विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 12 / 2001 दिनांक 24.03.2001 जारी कर उक्त अधिनियम की धारा 146 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों को उक्त अधिनियम की धारा 146 (1) के तहत अन्य पक्ष बीमा की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि पंजीयन अधिकारियों (जिला परिवहन अधिकारियों) द्वारा बीमा संबंधी इन अपेक्षाओं की पूर्ण रूप से अनुपालना नहीं की जा रही है जिनके कारण सडक पर काफी संख्या में ऐसे वाहन चल रहे हैं जिनके पास अन्य पक्ष बीमा नहीं है। ऐसा होना सार्वजनिक जीवन और विशेष कर गरीब लोगों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रहा है जो ऐसे वाहनों के दुर्घटनाओं में शामिल होने की दशा में किसी भी प्रकार का बीमा से हित लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

अतः समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है वे वाहन स्वामी द्वारा अन्य पक्ष बीमा प्रस्तुत करने पर ही ऐसे वाहनों के पंजीकरण, नवीनीकरण, स्वामित्व अन्तरण इत्यादि जैसे सभी प्रकार के कार्यों का निष्पादन करें एवं इसके साथ ही अपने अधीनस्थ प्रवर्तन स्टाफ द्वारा ऐसे सभी प्रकार के वाहनों की जांच कर उनके साथ अन्य पक्ष बीमा होना सुनिश्चित करें। इस आदेश की अक्षरशः पालना की जावे।

परिवहन आयुक्त एवं
अति० मुख्य सचिव

D:/Working Area/Girraj/Mishra sir/All hindi letter